बिहार विधान-सभा वादवृत

शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष श्री शकुर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुशरण में प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना।

श्री दारोगा प्रसाद राय—महाश्य, मैं षष्ठ बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७२ के ३२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम—४ को ? परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हुँ।*

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहन किया)

प्रश्नों के सम्बंध में चर्चा

श्री भोला प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है और वह यह है कि आप इन प्रश्नों के पोथे को देख लें और इन्हें अगले सत्र के लिए रख दें।

अध्यक्ष—मैंने आपकी बात को समझ लिया। लेकिन अगले सत्र के लिए फिर और भी प्रश्न आनेवाले हैं और हो सकता है कि वे महत्वपूर्ण प्रश्न आनेवाले हों। इस परिस्थिति में जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उनके उत्तर यथाशीघ्र माननीय सदस्यों के बीच वितरित करा दिए जायँ। अब जो प्रश्न आज पूछे जा सकते है वे न हुंछे जाये।

पाद टिप्पणी * कृपया परिशिष्ट-ब देखें।

क्रम सं०	ग्राम पंचायतों का नाम	बांटे गये लाल कार्ड	अभ्युक्ति
११	बांदी	१२	
१२	खूटनहों	११	
१३	कोराव	१०	
१४	डबूर	८	
१५	सोनठीहा	८	
१६	केरकी	१२	
१७	कावर	२१	
१८	सबासपुर	९	
१९	मुडेरा	२	
२०	बरारी	४	
२१	अहियापुर	१३	
२२	सियाडीह	१०	
२३	दिग्हो	६	
२४	मांझियावां	१२	
		कुल २६८	

जंगली पौधा लगाये जाना

६६१। श्री टीका राम मांझी—क्या मंत्री वन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिला के मोसावनी रेंज तथा चकुलिया रेंज के अन्तर्गत पड़ने वाली सभी दोन जमीन में अर्थात जिसमें धान लगाया हो और जो सन् १९३२ के नक्शा (भीलेज मेम्प) अनुसार जंगल विभाग में पड़ती हो, जंगली पौधा लगाने का आदेश वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर को सरकार द्वारा दिया गया है, यदि हो, तो कब और क्यों ?

श्री टी मुचि राय मुण्डा—उत्तर नाकारात्मक है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्राईवेट फौरेस्ट एक्ट, १९४६ की धारा १४ के अन्तर्गत अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन द्वारा वन सीमा निर्धारण की आम सूचना दी गयी। इसके बाद धारा १५ के मुताबिक वन बन्दोवस्त पदाधिकारी नियुक्त किये गये। उन्होंने जमीन के उपर सभी दावों की जाँच कर उचित आदर्श दिया। उसके बाद ही जंगलों की सीमांकन हुआ। उसके बाद भी जब तक लोगों से जो दावा आते गये उसकी समुचित जाँच के बाद सही प्रमाणित होने पर जभीन निष्कासन का भी आदेश दिया गया। अब वन सीमा अन्तिम रुप से स्थिर हो चुका है और उसके अन्तर्गत दोन जमीन होने की सम्भावना नहीं रह जाती है।

वनपालों के पद पर प्रोन्नति।

६६२। श्री उमरांव साधो कुजूर—क्या मंत्री, वन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) रांची जिला में वन पालों के पद पर प्रोन्नति के लिए कान सा आधार आ गया है;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्देशानुसार अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाती है;

(३) क्या यह बात सही है कि बोर्ड के चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा किया जाता है;

(४) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है। तो प्रोन्नति के लिए कौन सा आधार रखा गया है?

श्री टी० मुचि राय मुण्डा – (१) रांची जिला में वनपालों के पद पर प्रोन्नति वनरक्षक (फौरेस्ट गार्ड) से ही दी जाती है। प्रोन्नति का निर्णय चुनाव समिति द्वारा बरीयता तथा योग्यता के आधार पर किया जाता है। चुनाव समिति का गठठ वन संरक्षक द्वारा किया जाता है जिसमें सम्बन्धित वन प्रमंडल पदाधिकारी